इंदौर संभागके चांदनखेडीमें घटी हकीकत पर जाँच रिपोर्ट !

- **अयोध्या-राममंदिर पर फैसलेके बाद क्यों फैला रहे तणाव,जागरण,क्यों हो चंदा?**
- **सांप्रदायिक सद्भाव की जिम्मेदारी म.प्र.शासनकी ! पुलिस प्रशासनकी कमजोरी क्यों?**
- **निष्पक्ष न्यायिक जाँचसे करे दोषीयोंको करार ! निरपराधोंको करे रिहा !**

प्रस्ताविक पृष्ठभूमी: मध्यप्रदेश के मंदसौर तथा उज्जैन में हिंदू और मुस्लिम समाज के बीच विवाद ही नहीं, हिंसा प्रकट होने पर विचलित हुए हम, विविध जनसंगठनों से जुड़े साथी यह सोच रहे थे कि वहां के विवाद को नजदीकी और बारीकी के साथ समझकर हम शांति स्थापित करने में अपना कदम उठाये | इतने में इंदौर संभाग के गौतमपुरा तहसील के चंदनखेड़ी गांव में 29 दिसंबर के रोज हुई घटना की खबर पहुंची और फैलते या फैलाती सांप्रदायिकता का एहसास खबरों से मिलने पर हम अहिंसा और सर्वधर्म समभाव के प्रति कटिबध्द साथियों ने समूह बनाकर वहां पहुंचना निश्चित किया और 6 जनवरी के रोज हम उस क्षेत्र में पहुंचे |

धर्माट गांव से निकली, अयोध्या में बनने जा रहे राम मंदिर के मुद्दे पर तथा उसके लिए आगे चलकर चंदा इकट्ठा करने के इरादे से निकली यात्रा के दौरान हिंदू और मुस्लिम समाज में विवाद और हिंसक घटना बनने की खबर पर हमें यह देखना था कि उसकी पूर्वपीठिका, कारणमीमांसा एवं उस पर की गई प्रशासकीय कार्यवाही क्या है तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृति ना हो, इसलिए शासन, प्रशासन एवं समाज की और हमारी भूमिका क्या होना जरूरी और संभव है | हम निम्नलिखित सामाजिक कार्यकर्ता सामूहिक जांच व संवाद के आधार पर यह रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं |

शोध प्रक्रिया :

हमारे समूह ने चंदनखेड़ी गांव पहुंचने पर वहां के भूतपूर्व तथा आज के सरपंचों के साथ गांव के किसानों से संवाद किया | इस गांव में करीबन 490 परिवार मुस्लिम समाज के तथा 4 परिवार दलित समाज के और एक ही परिवार चौधरी याने अन्य हिंदू समाज का होना पाया | बातचीत के वक्त पुलिस अधिकारी SDOP, देपालपुर इंदौर से गोपालपुरा क्षेत्र में घटना के बाद नियुक्त TI इंद्रेश त्रिपाठी भी कुछ समय तक चली बैठक के स्थान पर अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ उपस्थित थे | उनसे भी कुछ सवाल जवाब होकर यह जानने मिला कि SDOP देपालपुर घटना के दिन सांवेर में ड्यूटी पर भेजे गए थे तथा चंदनखेड़ी क्षेत्र के TI आर.सी. (रमेश चंद्र) भास्करे को निलंबित किया गया है |

बैठक के बाद हम गांव में पूरी स्थिति देखने, जानने के लिए वहां उपस्थित दसों परिवारों के बुजुर्ग, महिलाएं, युवाओं को मिलकर उनके बयान लेते गये तथा उनमें कुछ ही व्यक्तियों के पास रहे वीडियो भी हमने देखें | गांव के मुख्य रास्ते पर चलते एक-एक मकान, जो तोड़े गए थे, वहां संपूर्ण तलाश के दौरान हमने परिवारों के मुखिया, रिश्तेदार तथा महिलाओं से हकीकत जानी, हमारे सवालों के जवाब लेते स्थल निरीक्षण फोटो और रिकॉर्डिंग का आधार लिया |

चंदनखेड़ी गांव से निकलकर, जहां कहीं पत्रकार और इंदौर, देपालपुर व अन्य जगह से, घटना से प्रभावितों की दखल लेने के लिए पधारे सामाजिक कार्यकर्ता व धार्मिक संस्थाओं के (विशेषतः मुस्लिम) पदाधिकारियों से भी हमारी मुलाकात हुई | पत्रकारों से देपालपुर में संवाद वार्ता हुई जिसमें पत्रकारों ने भी उनकी जानकारी तथा अनेक सवाल पेश किये | इनमें से कुछ ही घटना के गवाह रहे, अन्य नहीं | हमारा मुख्य आधार गांव के ही लोगों से हकीकत जानने पर रखा गया | मुलाकाते रिकॉर्ड की गई |

देपालपुर के बाद बेटमा में 29 दिसंबर की यात्रा तथा क्षेत्र में राम मंदिर पर जन जागरण के कार्य में शामिल हुए करीबन 20/25 प्रमुख नागरिकों से हमारा संवाद हुआ जहां सवाल-जवाब से अधिक जानकारी और गांव में पाई हकीकत पर भिन्न विचार प्रकट किए गए |

इंदौर लौटने पर एमवाय अस्पताल में भर्ती रहे घायलों से मिलने के लिए हम दौड़े लेकिन वहां जानने मिला कि हम पहुंचने के मात्र आधा घंटा पहले वहां के सभी घायलों को डिस्चार्ज दिया गया था, जो कि कई दिनों से वहां भर्ती रहे, पुलिस की निगरानी में लेकिन शाम .... बजे उन्हें, स्वयं के ही वाहन बुलाकर घर भेजा गया |

देपालपुर में शासकीय विश्राम गृह पर कुछ स्थानीय नागरिक व पत्रकारों से संवाद करना चाहने पर देपालपुर एसडीएम ने स्वयं वहां आकर हमारे पहुंचने के पहले मुख्य गेट को खास खरीदी चेन व ताला लगा दिया और हमें रोका गया | प्रशासकों का यह रूख सोचने लायक, अनोखा था |

<u>चंदनखेड़ी गांव वासियों के बयान के निष्कर्ष :</u>

चंदनखेड़ी मुस्लिम बाहुल्य का गांव होकर, गांव के भीतर तथा इर्द-गिर्द के सभी गांवों से जिसमें धर्माट, कनवासा, से रुखदया तक शामिल है, उनके संबंध तथा व्यापार और व्यवहार पीढ़ियों से सौहार्दपूर्ण रहा है | पिछले सालों के क्या, दशकों तक कभी कोई विवाद, धार्मिक दंगा या हिंसा की घटना नहीं हुई है | पहले मुस्लिम और अब आरक्षित स्थान पर दलित सरपंच होकर गांव में उनके साथ या उनके बीच किसी कार्य में कोई विवाद पैदा नहीं हुआ है |

29 दिसंबर को धर्माट से निकली रैली राम मंदिर के मुद्दे पर जन जागरण के लिए थी, जिसमें धर्माट के अलावा बड़ोदिया, कनोदिया, कनवासा एवं एवं रुद्रारव्या के हिंदू समाज के नागरिक, विविध व्यावसायिक और किसान रहे | चंदनखेड़ी में 2 से 5 बिघा भूमि के हकदार किसान अधिकांश है, जिनमें से कई पशुपालक अपना दूध बेचकर भी कमाई करते हैं | चंदनखेड़ी से करीबन 5000 लीटर दूध रोज क्षेत्र के सभी गांवों में पहुंचना पहुंचता रहा है जिससे कि व्यापार का लेनदेन कि संबंध स्पष्ट है |

इस यात्रा की पूर्व घोषणा और जानकारी के बारे में दो राय पाई गई | गांव के कई लोगों ने, महिलाओं ने कोई सूचना ना होने की बात कही |

हमारे अनुसार रैली की पूर्व सूचना क्षेत्र में अधिकृत नहीं किंतु अनाधिकृत रूप से फैल गई थी लेकिन उस पर कोई सवाल या विवाद किसी भी समाज के नुमाइंदों ने खड़ा नहीं किया था रैली में लोग शामिल होते हुए इसे प्रशासकीय मंजूरी का सवाल ही नहीं माना गया पुलिस प्रशासन रैली के साथ रहा जिसमें टी आई बात करें भासकर ए थे लेकिन एसडीओपी देपालपुर सांवेर में मेले में गए थे रैली में जय श्री राम के नारे लगाते हुए शामिल लोग चानन खेड़ी से निकलते कुछ टिप्पणी यो और कुछ गालियों देने की बात गांव वासियों ने सुनी रैली के भूटान लोग गांव पार करने तक ग्रामवासी घरों में ही बंद रहे और सामने नहीं आए रैली में शामिल लोगों का कहना है की दिहाड़ी मजदूरी पर जाने वाले युवा इस दिन काम पर जाने वही वहीं रुके रहे हमारी चर्चा विचार से लगता है कि इस रैली का आयोजन संवेदनशील अयोध्या के मुद्दे पर होने से गांव में कुछ डर का फैलाव होकर अपने परिवार की सुरक्षा की चिंता से शायद घर पर रुके थे रैली करीबन गांव पार चुकी थी जिस दौरान कोई विवाद या हल्ला गुल्ला नहीं हुआ लेकिन रैली के अंत के हिस्से के लोगों में से कुछ ईदगाह के मीनारों पर चढ़कर तलवार से उसे तोड़ने का प्रयास करने लगे तो धीरे-धीरे गांव के कुछ युवा बुजुर्ग बाहर गाय आई आए पुलिस इकट्ठा उपलब्ध थी ही लेकिन एसडीओपी सांवेर से लौटने के बाद ही उन्हीं के कहने अनुसार उन्होंने ऊपर चढ़ चुके तीन व्यक्तियों को नीचे उतारा जिनमें से एक भाग गया और 2 को गिरफ्तार किया एक मुंह लपेटे था....| रैली में शामिल लोगों के हाथ में सभी का कहना था की लोहे की छलिया दांडिया तथा कुछ तलवारे तो थी ही जलाने की घटना में उन्होंने साथ लाए केरोसीन या डीजल भी था इस पर उपलब्ध वीडियो थे यह बातें स्पष्ट करते हैं |

हमें बेटमा में मिले नगर अध्यक्ष भाजपा के बब्बी दरबार और उनके साथ उपस्थित भाइयों ने यह माननीय से इनकार किया कि रैली में आए लोगों के हाथ में कोई भी हथियार थे लेकिन उपलब्ध वीडियो जिसकी जिनकी सच्चाई पर कोई शंका नहीं आती लेकिन शंका हो तो जांच संभव है मीनार पर तलवार या किसी धारदार चीज करारा प्रहार ओके निशान हमने स्वयं देखें और पुलिस ने इसका समर्थन किया है 2 लोगों पर इस कार्य के संबंध में अपराधिक प्रकरण दाखिल हुआ है और 2 दिन में उन्हें जमानत दी गई |

इस बीच भागके गये गाववासी खेतोंमें घूसकर नालेतक पहुंचे | वहां गाववालोंके अनुसार नालेके उस पारसे कुछ पत्थराव हुआ तो गावकेभी कुछ युवाओंसे शायद प्रतिरोध किया गया | इसकी तथा गोलीचालनकी जांच जारी होना और पूरी नही हो पाना पुलिस अधिकारियोंने हमारे समक्ष मंजूर किया | लेकिन गावके 23

व्यक्तियोंके खिलाफ अपराध प्रकरण दर्ज करवाकर धारा 147,148,294 और 323 की तहत गुनाह दाखिल और गिरफ्तारी की गई | इनमेंसे करीबन 6 आजतक जमानत न होनेपर जेलबंदही है | किसी प्रकरणमें धारा 151 केही तहत गिरफ्तारी हुई है |

बंदूक चलायी तो किसने,इसपर दो राय सामने आयी | कादरभाईके बेटे हातिमपर तो गाववासी गोली नहीं चला सकते....अन्य 2 बार firing किसने की,इसके जवाब दोनों पक्षोंसे भिन्न दिए गये हैं | गावमें एकही परिवारके पास रही लाइसेन्सवाली बंदूक 1 ½ साल पहले जमा करनेकी खबर है | साथही रैलीवालोंके पास बंदूके थी,यह आरोप भी लगाया गया है | जाँच जरुरी है |

जरुरी यह भी है कि इस घटनाके बाद शासन इकतर्फी भूमिका अदा न करे और रास्तेके नामपर मकानतोड़ की कारवाईपर भी ध्यान देकर प्रशासकोंकी निर्णयप्रक्रिया की जाँच एवम् पूरी नुकसानभरपाई दिला दे !

मीनार पर चढ़ने बाद पुलिस चौकी भरपूर उपस्थिति में आक्रोश का हल्ला होने गांव की महिलाएं हार के अंदर ही छिपे रहे और कुछ घर छोड़कर खेतों से गांव किनारे के नाले की तरफ भाग पड़े इस दौरान कोदर भाई अकबर भाई के घर पर जो कि गावका अंतिम घर है,जबरदस्त हमला हुआ | उनके छतपर पत्थर तो गिरे हुए,video और फोटोजमें हैही लेकिन हमने प्रत्यक्ष घरघरकी हकीकत लेते,देखा और जाना कि उनके तीन ट्रैक्टर्स,दो गाड़ियां (एक जीप),2 मोटरसायकल्स,कुछ पंखे, टी.व्ही, पंप,कपाट,दरवाजे आदिपर हथियारोंसे तोड़फोड़ हुई है | उनकी भैंसों,बकरीयोंपरभी लाठियाँ चलायी गयी,किसीकी पैरोंपरभी हड्डी तोडनेतक हमला हुआ है | कपाटकी सेल्फ तोडकर अंदरके जेवर,नगद राशि आदि लेकर हमलाखोर भाग गये हैं | इसी दौरान पाचों भाईयोंसे बेरहम मारपीट की गई तो हतमभाईको घटके पिछवाडेमें हमलाखोरोंने गोली मारी | यह अर्थात रैलीमें लाई रोती हुई बूढी बंदूक माँ और सलमाबहनने मारपीटसे लूटतक की हकीकत बतायी जब कि बढे कादरभाई सदमेमें खाटलेपर बैठे रहे और उनके बेटे अस्पतालमें भर्ती होते,सभी घरवालों,गाववालोंका कहना था कि उन्हें एक या दो सालतक काम करना भी शायद नामुमकीन होगा | उन्हें देखने जानेके लिए न वाहन था,न हि पुलिसोंकी सहमति ! खेत और पशुपालन की आजीविका पर,इस परिवारकी बरबादी की सारी निशानियाँ देखते हुए इसमें कोई शंका नहीं कि पुलिसोंने दूर रहकर देखते हुए ये सभी कृत्य होने दिये,कोई हस्तक्षेप नहीं किया ! इतनाही नहीं हिंदु संगठन और भाजपासे जुड़े नागरिकोंने जो बेटमामें कहाँ ..कि कादरभाई के परिवारजनोंने खुदही अपने घर-सामानका नुकसान किया,यह तो बिल्कुलही विश्वासजनक नहीं लगता,जब पूरी जानकारी एवम् साबिती-पुरावे देखे जा सकते हैं | पटवारी मुकेश चौहानने माना कि इस घटना और बरबादीका पंचनामा करवाया गया है जब कि बहनोंका कहना था कि उसमें पूरी नुकसानीकी नोंध न होते हुए,कुछ छूटी हुई है | आगजनी शुरू होते पुलिसोंने घरवालोंको बाहर बुलाया लेकिन परिवारके एक भाईने fire brigade बुलाया तो उसे रैलीवालोंने घरतक पहुँचने नहीं दिया | 100 नंबरपर फोन करके बुलाया तो कंट्रोल रुमसे उल्टा जवाबही पाया | पुलिस गाडियोंके साथ मात्र खड़े रहे |

कादरभाई घरकी 3 महिनेकी बच्ची जब कि रजईयाँ,कपडे,सीटे,मोटरसाईकिले जलानेपर धूमसती आगसे खतरेमें आयी,जिसका झूलाभी जलाकर ख़ाक किया गया,तब उसे उठाकर भागते हुए सद्दामभाई परही

मार पडी और उन्हें हॉस्पिटल भेजा गया | सद्दामभाईका बयान लिया और किसीका नहीं ! हतमभाई आज भी CHL-Apollo में भर्ती है,जिनके खूनमें गोलीसे infection फैलनेकी जानकारी परिवारको प्राप्त हुई है |

कादरभाई के अलावा गावके कुछ अन्य घरोंके कही पाइप तोड़े तो कही बकरीकी आँख निकाल दी | प्याज,लहसून,अनाज तक जलाकर खाकपर दिया गया | फ़र्निचर के लिए इकठ्ठी रखी बड़ी लकडिया भी जलायी गयी | किसीका भुसा जलाया गया | बेटमामें मिले रैलीमें शामिल लोगोंका कहना था कि हिन्दू समाजके लोग तो कभीभी भैंसोपर हमला करही नहीं सकते ! क्या कहे?

<u>रास्ता चौडाकरण और 'अतिक्रमण' हटाने की मकानतोड़ कारवाई: कितनी सच?</u>

सबसे गंभीर बात यह भी है कि घटना के दूसरे दिन ही शासन-प्रशासनने ग्रामपंचायत के साथ पूरे गाव को अनभिज्ञ रखते हुए एक अवैध और अभूत कारवाई कर डाली | प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित गांव का कुछ 10" चौड़ा रास्ता और चौड़ा करने का निर्णय किसी स्तर पर लिया जाकर जेसीबी सहित सारे उपकरण लेकर पधारे प्रशासकोने रास्तेपर मौजूद , गांव के पीने के पानी के आधार रहे ट्यूबवेल, बोरवेल भी तुडवाकर,दबाकर 3 फिट ऊँचा रास्ते का निर्माण शुरू किया | ऊपर से डाली गयी मात्र चुरी और बुलडोझर चलाया | आज भी बोअरवेल की जगह धंसता रास्ता गवाह है |

इसी रास्ते के दो दिन चले कार्य के दौरान एकेक घरपर जेसीबी चलाकर दो से चार तक कमरे ध्वस्त किये गए | घर के छत की तथा कमरोंकि दीवारे तोड़ी, और ऐसे करीबन 15 घरोंमेंसे परिवारोंको बेघर करते हुए गांव से स्थलांतर करने तक मजबूर किया गया | लाखोंका नुकसान होता देखते रही महिलाओंने तथा भाई,बच्चोंने बताया कि न उन्हें नोटिस दी गयी थी,न कोई पूर्वसूचना! मन्सूर पटेलजी का घर चौड़े रास्ते से बाहर होते हुए भी की तोड़फोड़! और रईस पटेलकी दुकान तक पूर्ण रूप से बरबाद की गई |

सादिनभाई के घर पर तब तोड़फोड़ हुई जब कि वे मस्जिद में नमाज पढ़ने गए थे और उनके एक गूंगे बेटे इमरान घर मे थे | दूसरे बेटे अझरुद्दीन बीमार होकर सलाइनका इलाज ले रहे थे | महिलाओंने हातपांव जोड़े तो भी मकानको न केवल तोड़ा गया बल्कि उन्हें चप्पल तक पहनने न देते हुए गिरफ्तार करके ले गए पुलिस!

एक विशेष खबर,video के साथ पत्रकारोंसे पेश की गई है कि भूतपूर्व विधायक भाजपाके मनोज पटेल जीने यह बयान दिया था कि घर ही नही गांव को भी रौधनेकी उनकी तैयारी है | उनके अनुसार घटना के मुद्दोंपर कलेक्टर ने जवाब दिया कि वे गाव के रास्ते में आये अतिक्रमित मकानोंको तोड़ देंगे | पूर्व में अगर यह तय था तो घटनाके तत्काल बाद आश्वासन और कारवाई वैध प्रक्रिया के बिना ही क्यों कि गई? सरपंच तक खबर क्यों नही?

<u>विश्लेषण, निष्कर्ष एवम सुझाव</u>

इस पूरी हकीकत के साथ देखनी है देश और राज्य की परिस्थिति! एक ओर किसान आंदोलन चोटीपर पहुँच चुका है तो इस विशेष प्रकारकी घटनाएं, हमे लगता है, शासन और समाजका ध्यान दूसरी ओर खींचने के उद्देश्यसे होना संभव है |

इन्दौर के पहले भी उज्जैन,मन्दसौर में हुई घटनाओं से तुलना करें तो कुछ समान पैटर्न नजर आता है | हर जगह राममंदिर और 'जन-जागरण' तथा उसीके लिए चन्दा इकक्ठा करनेका उद्देश्य रखा गया है | प्रधानमंत्रीजीने मंदिरके लिए पूरी वित्तीय सहायता मंजूर करनेके बावजूद चंदा जुटाना क्यों? यह सवाल खडा होता है |

इंदौरके अलावा की घटनामें मस्जिदपर चढ़ना,भगवा झंडा फैलाना,इदगाहके सामने हनुमान-चालिसा पढ़ना तथा किसी राजनेताने उकसानेवाले बयान देना आदि घटना साम्प्रदायिक दूरी बढ़ाने,नफरत पैदा करनेमें कामयाब हो सकती है और एकेक जिलेंमें हो रहा फैलाव रोकनेके लिए संवैधानिक आधारपर इसपर कारवाई तत्काल जरुरी है |

हमारी सामूहिक जाँच और विश्लेषण यह बात सामने लाता है कि इस प्रायोजित रैलीमें कई गावोंके लोग शामिल थे और अगर रास्ता चान्दनखेडीसे न लेने शायद विकल्प ढूंढा जा सकता है | लेकिन मुस्लिम गावसे बाहुल्यके निकलना नामंजूर करनेका आग्रह कुछ मुस्लिम समाजके नुमाइंदोने करना हमें मंजूर नहीं है जब कि उनकी मनीषा सांप्रदायिक तनाव रोकनेकी दृष्टीसे तात्कालिक उपाय मात्र हो सकती है |

हम मानते हैं कि पुलिस प्रशासनकी सतर्कता तथा हस्तक्षेपकी गंभीर त्रुटी इस संभागकी चांदनखेडी की हकीकत में स्पष्ट नजर आती है | हम मानते हैं कि अपराधी प्रकरण कितने सही,धाराएं कितनी सही है इसकी जाँच भी जरुरी है |

आजतक अस्पतालमें भर्ती या रिहा हुए जख्मीयोंके स्पष्ट बयान और दोषीयोंकी पहचान होना जरुरी था और है !

जिन गावोंके बीच न कभी विवाद हुआ,न दंगा, उन्हें ऐसी घटनाओंसे विभाजित किया जाना क्या शासनको मंजूर है?मुख्यमंत्रीजी तक किसीने भी इसपर मात्र पथरावसंबंधी वक्तव्य न करना निश्चितही अपर्याप्त या इकतर्फी है | उनके अलावा भाजपाके पदाधिकारीयोंने 'निपटनेकी' बात करना भी मंजूर नहीं हो सकता | क्या आनेवाले पंचायत/नगरनिगमके चुनावोंके मद्देनजर ये घटनाएँ हो रही है? इनसंबंधी शासन नहीं मुख्यमंत्रीजीने एवम् सत्ताधारी पार्टीने भूमिका स्पष्ट करना जरुरी है |

- हम चाहते हैं कि इस घटनाकी तथा उज्जैन,मंदसौरकी भी संपूर्ण निष्पक्ष जाँच समयबद्ध तरीकेसे,भूतपूर्व न्यायाधीश के नेतृत्वमें की जाए |
- चांदनखेडी के गाववासीयोंके संपूर्ण नुकसानकी पंचनामा आधारित भरपाई उन्हें भुगतान की जाए |
- रैलीका मार्ग,प्रयोजन तथा प्रक्रिया और नेताओंके बयान,आवेदन इ.जाँच का हिस्सा होकर सही कार्यकक्षा आंकी जाए |

- सांप्रदायिक जहर न फैले और सद्भाव बढे,इसलिए राममंदिर पर जनजागरण और चंदा इकठ्ठा करनेपर प्रशासन संवेदना कायम रखकर लेकिन संवैधानिक दायरेमें,जिम्मेदारी स्वीकारकर
- हिंसा के दोषीयोंपर निष्पक्ष जाँचके बादही कार्यवाही हो | 'रासुका' का उपयोग गैर मानकर,भेदभाव मिटानेकी दिशामें कदम उठाये जाए !

जाँच समूह के साथी

1. रामबाबू अग्रवाल
2. रामस्वरूप मंत्री
3. Adv.एहेनेशामभाई हाशमी
4. कैलाश लींबोदिया
5. अरविंद पोरवाल
6. एस.के.दुबे
7. मेधा पाटकर
   व अन्य